केंद्रीय विशेषज्ञ के सहायक संग्रहकर्ता

बनाम

जेनसन होजरी उद्योग

27 जुलाई, 1979

[वी. आर. कृष्णा अय्यर, डी. ए. देसाई और ए. डी. कौशल, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 - के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग- आपराधिक जांच के लंबित रहने के दौरान राहत देने में न्यायालयों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी।

अभिनिर्धारित किया गया:

संविधान के अधिनियम 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए और जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता कि सामान्य वैधानिक उपाय राहत देने के लिए बहुत विलंबित होने की संभावना है, उसे अधिनियम 226 के तहत कार्य करने से बचना चाहिए। आपराधिक जांच के लंबित रहने के दौरान राहत देने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। [134 जी-एच]

एक आपराधिक मामले की जांच एक बहुत ही संवेदनशील चरण है जहां जांच प्राधिकारी को सभी विषम कोनों से साक्ष्य एकत्र करना होता है

और कुछ भी जो उसके क्रम को विफल करने की संभावना रखता है वह न्याय के हितों को बाधित कर सकता है। [135 ए]

न्यायालयों को यह देखने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि अन्वेषक द्वारा अपने जांच कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक प्रत्येक शर्त या आवश्यकता को तब तक आसानी से स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से अनुचित न हो। जांच के स्तर पर न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना जोखिम भरा है, सिवाय इसके कि जहां स्पष्ट अन्याय उसके आदेश के लिए मांग करता हो। [135 सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4059/1979

सिविल रिट याचिका संख्या 106/1979 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30-1-79 से।

याचिकाकर्ता की ओर से सोली जे. सोराबजी, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और गिरीश चंद्रा।

न्यायालय का आदेश **कृष्णा अय्यर, जे.** द्वारा दिया गया।

याचिकाकर्ता, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने शिकायत की कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र का गलत प्रयोग है क्योंकि माल जब्त होने पर राहत के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क

अधिनियम के तहत एक वैकल्पिक वैधानिक उपाय है। यह कहना सही है कि उच्च न्यायालय को अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए और जब तक यह संतुष्ट न हो जाए कि सामान्य वैधानिक उपाय यथोचित त्वरित राहत देने में बहुत विलंबित या कठिन होने की संभावना है, इसे अनुच्छेद 226 के तहत कार्य करने से बचना चाहिए। हो सकता है, असाधारण मामलों में-वर्तमान मामला ऐसा प्रतीत नहीं होता कि असाधारण शक्ति का प्रयोग किया जा सके। इसलिए यह कहना सही है कि उच्च न्यायालय विशेष रूप से आपराधिक जांच के लंबित रहने के दौरान इन राहतों को देने में अत्यधिक सावधानी बरतेंगे। किसी आपराधिक मामले की जांच एक बहुत ही संवेदनशील चरण है जहां जांच अधिकारी को सभी कोनों से सबूत इकट्ठा करना होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो इसके क्रम को विफल करने की संभावना रखती है, न्याय के हितों को बाधित कर सकती है। यहां हमें बस इतना ही कहना है कि जब जांच के दौरान कोई अंतरिम या अंतिम राहत मांगी जाती है, जिसमें जांच को धीमा करने या अन्यथा बाधित करने की प्रवृत्ति होती है, तो उच्च न्यायालय अत्यधिक अनिच्छा की आवश्यकता को ध्यान में रखेंगे।

वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई आवश्यकताओं को उच्च न्यायालय ने तुरंत मंजूरी दे दी थी और जांच के लिए आवश्यक

गवाही देने वाले कंटेनरों की आवश्यकता के बारे में उच्च न्यायालय को नहीं बताया गया है। हम निश्चित रूप से सहमत हैं कि माल जारी करते समय भी, न्यायालयों को यह देखने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि प्रत्येक शर्त या आवश्यकता जिसे अन्वेषक अपने जांच कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक बताता है, उसे न्यायालय द्वारा तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से अनुचित न हो। आख़िरकार, जाँच के चरण में न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना जोखिम भरा होता है, सिवाय इसके कि जहाँ स्पष्ट अन्याय न्यायालय के आदेश की माँग करता हो।

इन टिप्पणियों के साथ, हम याचिका को खारिज करते हैं।

एन.वी.के. अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक, राहुल कुमार** द्वारा किया गया है।**]**

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।